email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 104 / 12-1(54) मुनिकीरेती, दिनांक– 17/ 07 / 2019

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल में RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (Approx 35 Poles per Km.) From Ghansali to Jandoli-Ghumatidhar(Total length-29.100 Km.) हेतु अपेक्षित वन भूमि 0.873 हे0 का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।(FP/UK/Others/31682/2018)**

सन्दर्भ :– आपके द्वारा ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक–03.07.2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाईन आपत्ति इंगित की गयी है कि ***"CF may clarify, whatever this RoW --right of way-- has approved under FC clearance at the time of construction"*** के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण, प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत RoW (right of way) के अन्तर्गत मोटर–मार्ग के किनारे–किनारे किया जाना प्रस्तावित है । इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व निर्मित मोटर–मार्ग घुमेटीधार–घनसाली से जन्दोली के किनारे–किनारे प्रस्तावित है जिसकी चौड़ाई 06 मीटर है । उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव / अभिलेख / स्वीकृति इस कार्यालय एवं प्रभाग स्तर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । स्थानीय जनता के अनुसार इस मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष–1980 से पूर्व हो चुका था ।

अतः प्रकरण पर आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :– / , तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके पत्रांक–131 / 12–1, दि0–16.07.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक